कार्यालय—उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर

कमांक— शिउनि / प्रारं / जय / लेखा—2 / फा—समान परीक्षा / 09 / 94 दिनांक :— 19/11/09

प्रधानाचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
गोनेर / सीकर / अलवर / बसवा।

विषय :— ऑठवी बोर्ड परीक्षा के आवेदन पत्र स्वीकार करते समय जिला समान परीक्षा एवं क्रीडा प्रतियोगिता शुल्क की रसीद की फोटो प्रति लेने की अनिवार्यता में छुट।

प्रसंग :— इस कार्यालय का पत्रांक—शिउनि / प्रारं / जय / लेखा—2 / फा—समान परीक्षा दिनांक 15.09.09

विषयान्तर्गत दिनांक 10.09.09 को 8 वीं बोर्ड परीक्षा संचालन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं के 8वीं बोर्ड के आवेदन पत्र उसी शर्त पर स्वीकार किये जावें जबकि संबन्धित विद्यालय द्वारा जिला स्तरीय समान परीक्षा शुल्क एवं क्रीडाशुल्क की राशि जमा कराकर रसींद की फोटो प्रति प्रस्तुत कर दी जावें। आप सभी को इसकी पालना हेतु प्रासंगिक पत्र द्वारा निर्देशित किया गया था।

स्वंयसेवी शिक्षण संस्था संघ (रजि.),जयपुर की ओर से इसके संदर्भ में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक शिविरा / प्रारं / एबी / 3511 / 98 / दिनांक 23 / 9 / 99 एवं क्रमांक प. 8(17) शिक्षा—5 / 2004 पार्ट II दिनांक 01.06.09 की प्रति प्रस्तुत कर उक्त अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की है। इन परिपत्रों के अनुसार सभी संस्थाओं का इन दोनो योजनाओं में भाग लिया जाना अनिवार्य नहीं है। ऐसी स्थिति में इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई गैर सरकारी विद्यालय यह लिखित में देता है कि वह समान परीक्षा का सदस्य नहीं है तो उसे समान परीक्षा की रसीद से मुक्त कर दिया जावें और इसी प्रकार यदि कोई विद्यालय यह लिखित में देता है कि उसके पास छात्र / छात्राओं के खेलने के खेल मैदान नहीं है, इसलिए वह छात्र / छात्राओं से खेल शुल्क नहीं ले रहा है तो उसे क्रीडा शुल्क की रसीद से मुक्त कर दिया जावें।

उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा
जयपुर संभाग, जयपुर

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :—

1. महामंत्री, स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ, सेक्टर—5, जवाहर नगर, जयपुर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर / दौसा / अलवर / सीकर।
3. संयोजक समान परीक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा, जिला जयपुर / दौसा / अलवर / सीकर ।
4. संयोजक, क्रीडा प्रतियोगिता, प्रारम्भिक शिक्षा, जिला जयपुर / दौसा / अलवर / सीकर।

उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा
जयपुर संभाग, जयपुर